



Geared for life

BHARAT GEARS LIMITED

Regd. Office & Works :
20 K.M. Mathura Road, P.O. Box 328
P.O. Amar Nagar, Faridabad - 121003 (Haryana) INDIA
Tel. : +91 (129) 4288888, Fax : +91 (129) 4288822-23
E-mail : info@bglindia.com
Corporate Identity Number : L29130HR1971PLC034365

BGL/SEC/NSE/3/SEPTEMBER 2020-2021

BGL/SEC/BSE/2/SEPTEMBER 2020-2021

September 16, 2020

The Manager (Listing)
National Stock Exchange of India Ltd
"Exchange Plaza", 5th Floor,
Plot No. C-1, G - Block,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai - 400051

The Manager (Listing)
BSE Limited
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building
PJ Towers, Dalal Street
Fort, Mumbai – 400001

SYMBOL: BHARATGEAR

STOCKCODE: 505688

Sub: Published Notice for Loss of Share Certificate

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015 ("the Regulations"), please find enclosed herewith copy of the notice for loss of Share Certificate published by the Company in the newspaper i.e. "Hari Bhoomi" (Hindi) on September 16, 2020.

You are requested to take the same on your records.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **Bharat Gears Limited**

Kaushal Narula
Manager (Secretarial)



Encl: As above



Mumbai Office : 14th Floor Hoechst House, Nariman Point, Mumbai - 400 021 INDIA
Tel.: +91(22) 2283 2370, Fax :+91-(22) 2282 1465, Email: info@bharatgears.com
Mumbra Works : Kausa Shil, Mumbra, Distt. Thane-400 612, (Maharashtra) INDIA
Tel. : +91(22) 2535 2034, 2535 7500, Fax: +91(22) 2535 1651
www.bharatgears.com

खबर संक्षेप



अवैध शराब की खेप पर पुलिस ने चलाया बुलडोजर

नई दिल्ली। दक्षिणी जिला पुलिस ने अलग-अलग मामलों में पकड़ी गई अवैध शराब की बड़ी खेप को नष्ट किया है। यह कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद की गई है। दरअसल इसके लिये बाकायदा एक्साइज डिपार्टमेंट से ऑर्डर लिया गया था। डीसीपी साउथ अतुल ठाकुर ने बताया कि कुल 16 हजार 262 अवैध शराब के क्वार्टर नष्ट किये हैं। इस जन्त शराब को एक खाली जगह पर डालकर उसके ऊपर बुलडोजर चलाया गया। इसके पहले सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई है। जिसमें एक्साइज डिपार्टमेंट से इजाजत लेना भी शामिल है।

नशे में धुत कार सवार युवक ने दो गाड़ियों को मारी टक्कर, चार घायल नई दिल्ली।

मंडावली थाना इलाके में सोमवार देर रात नशे में धुत एक कार सवार ने दो गाड़ियों में जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद उसकी कार अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। बिजली के खंभे से टक्कर लगते ही उसकी कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर सफदरजंग में रेफर कर दिया गया। घायल का नाम कृष्णा है। उसका अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी कार चालक युगल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार सोमवार रात 7:11 बजे पुलिस को सूचना मिली कि लाल बहादुर अस्पताल में एक शराब को घायल अवस्था में भर्ती कराया गया है। हालत गंभीर होने पर उसे सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंच गई। जांच में पुलिस को पता चला कि मंडावली स्थित मदर डेयरी के पास नशे में धुत एक कार सवार ने एक स्कूटी व एक कार में टक्कर मार दी है। स्कूटी सवार कृष्णा कुमार की हालत गंभीर होने पर उसे सफदरजंग में रेफर किया गया है। वहीं कार सवार युवकों को मामूली चोटें लगीं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी कार चालक युगल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल जांच में उसकी शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई है।

पैसे न देने पर पत्नी ने पति को वाइपर से बुरी तरह पीटा

नई दिल्ली। मयूर विहार थाना इलाके में खर्च चलाने के लिए रुपये न देने पर पत्नी ने पति की वाइपर से जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान पति बुरी तरह घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। घायल का नाम राकेश है। पुलिस ने राकेश की शिकायत पर उसकी पत्नी नीतू के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक, राकेश, त्रिलोकपुरी, मयूर विहार इलाके में सपरिवार रहते हैं। परिवार में उनकी पत्नी नीतू समेत अन्य सदस्य हैं। सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे राकेश अपने घर पहुंचा। इस दौरान उसकी पत्नी नीतू उससे घर का खर्च चलाने के लिए रुपये मांगने लगी। इस पर राकेश ने कहा कि उसके पास अभी रुपये नहीं हैं। किसी से उधार मांग कर दे दूंगा। इस पर नीतू भड़क गई और उसने वाइपर से राकेश की पिटाई करनी शुरू कर दी। राकेश की आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल राकेश को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है।

हरिभूमि न्यूज़ नई दिल्ली

दक्षिणी-पूर्वी जिले की सरिता विहार पुलिस ने बिजनेस डील में एक कंपनी को तकरीबन 22 लाख की चपत लगाने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम जितेंद्र कुमार बताया गया है। पुलिस को इसकी चार साल से तलाश थी। पुलिस ने इसके पास से कुछ दस्तावेज भी जब्त किए हैं।

डीसीपी साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट आरपी मीणा ने बताया एक कंपनी की मैनेजर मीनाक्षी नायर ने इस मामले में शिकायत दर्ज करायी थी। उन्होंने बताया कि वजीराबाद हरियाणा में केसी ट्रेडर्स के मालिक जितेंद्र कुमार ने उनके साथ एक बिजनेस डील की थी। आर्डर के आधार पर उनकी कंपनी ने आरोपी को पूरा माल भेजा। उनकी कंपनी फर्नीचर, फ्रिटिंग आदि उपकरण की डील करती है। 16 मई 2013 को जितेंद्र पर 14 लाख से ज्यादा की रकम का बकाया हो गया था। काफी दबाव के बाद भी उसने पेयमेंट नहीं की। इसके बाद भी उसके द्वारा माल की डिमांड की गई। शुरु में कंपनी ने माल भेजने से इंकार कर दिया। लेकिन उसके बार-बार आग्रह करने पर माल भेजा। जितेंद्र ने इसके बदले उनकी कंपनी के नाम पर साढ़े सात



लाख से ज्यादा के पीडीसी चैक जारी किए। इसके अलावा चार ओर चैक उन्हें दिए गये थे। लेकिन सभी चैक केश के अभाव में बाउंस हो गए। इस तरह उन पर करीब 21 लाख 92 हजार 106 रुपये की बकाया राशि हो गई। रकम मांगने पर उसने देने से इंकार कर दिया। यहां तक कि पीड़ित कंपनी के कर्मचारियों को धमकियां भी दी गई थी। सरिता विहार थाने में इस धोखाधड़ी की बाबत साल 2016 में केस दर्ज किया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने रेवाड़ी हरियाणा

निवासी जितेंद्र कुमार को जांच में शामिल होने के लिये कहा लेकिन वहीं शामिल नहीं हुआ। इसके बाद वह अंडरग्राउंड हो गया। साल 2018 में आरोपी के खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया। आखिरकार 13 सितंबर को उसे विकास नगर परिया में दबिश डाल पकड़ लिया गया। आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया कि मार्केट में रुपए फंस जाने की वजह से उसे काफी नुकसान हो गया था। पुलिस का कहना है कि आरोपी का कोई पुराना रिकॉर्ड सामने नहीं आया है।

माई के सामने प्रेमिका के साथ करना चाहता था गलत काम, गला घोटकर की हत्या

हरिभूमि न्यूज़ नई दिल्ली

वजीराबाद थाना पुलिस ने एक युवक की हत्या की गु्थी को सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में मृतक की प्रेमिका, उसके भाई व भाई का दोस्त शामिल है। पकड़े गए आरोपियों के नाम वर्षा (24), आकाश (23) और अली (20) है। पूछताछ के दौरान आरोपी वर्षा ने पुलिस को बताया कि मृतक साहिल उर्फ राजा (24) शराब के नशे में उसके भाई आकाश और अली के सामने गलत काम करना चाहता था। इसी बात पर तीनों ने मिलकर बेल्ट से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है।

डीसीपी (नॉर्थ) अंतो अल्फोंस ने बताया कि गत 11 सितंबर को गली नंबर-9, वजीराबाद से एक अज्ञात युवक के शव पड़े होने की सूचना पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। युवक के गले पर निशान थे। पुलिस ने व्हाट्सएप् ग्रुप के जरिये मृतक की शिनाख्त वजीराबाद निवासी साहिल उर्फ राजा के रूप में की। पोस्टमार्टम में डॉक्टरों ने बताया कि साहिल की गला घोटकर हत्या की गई है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। टीम ने घटना स्थल के पास लगे सीसीटीवी



कैमरों की फुटेज खंगाली। जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल के पास एक संदिग्ध ऑटो दिखाई दिया। पुलिस किसी तरह वजीराबाद निवासी ऑटो चालक रविंद्रपाल तक पहुंची। पूछताछ के दौरान रविंद्र ने बताया कि घटना वाले दिन रात में उसका ऑटो भगत विहार निवासी मुकेश के पास था। पुलिस मुकेश के घर पहुंची। पूछताछ के दौरान मुकेश ने पुलिस को बताया कि घटना वाली रात तड़के चार बजे एक युवती व दो युवक एक बीमार आदमी ने शास्त्री पार्क स्थित जग प्रवेश चंद

अस्पताल से वजीराबाद लाने की बात की थी। बाद में उन्होंने उससे कहा कि अस्पताल में मरीज को बैड नहीं मिला, आप हमें घर छोड़ दें। वह अचेत युवक व तीनों को वजीराबाद छोड़कर चला गया। इसके बाद पुलिस जग प्रवेश चंद अस्पताल पहुंची। पुलिस को यहां सीसीटीवी कैमरों में आरोपी दिखाई दिये। परिजनों को सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई तो परिवार ने महिला को पहचान साहिल की प्रेमिका वर्षा के रूप में की। पुलिस की टीम फौरन शास्त्री पार्क उसके घर पहुंची तो वहां ताला लगा मिला। वर्षा के

कैसे हो स्वच्छ भारत, जब जड़े हो महिला शौचालयों पर ताले



हरिभूमि न्यूज़ नई दिल्ली

उत्तरी दिल्ली नगर निगम के नरेला जोन के अलीपुर वाई के अंतर्गत टीकरी खुर्द गांव के निकट बसी टाउन स्लम कॉलोनी में स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाये गए दर्जनों जन शौचालयों की देखरेख नहीं हो पा रही है। जिसके चलते

अधिकतर शौचालयों पर ताले जड़े हुए हैं तो बाकी की बहाल हालत है। महिला शौचालयों पर जड़े हुए तालों से स्थानीय महिलाएं तो परेशान हैं ही इसके अलावा बच्चों को खुले में शौच करना पर मजबूर हैं। आसपास की पीड़ित महिलाओं ने बताया कि उन्होंने इसकी शिकायत क्षेत्रीय निगम प्रशासन से

की जिसके बाद एक अधिकारी आया और चला गया। महिलाओं ने सफाई व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और प्रकाश व्यवस्था की बात कही, लेकिन अब तक यहां सुविधाएं नहीं बढ़ाई गई। महिलाओं को कहना है कि यदि ऐसी ही हालत रही है तो महिलाएं भी खुले में शौच को मजबूर होंगी।

पुलिस को इसकी चार साल से थी तलाश

22 लाख की ढगी का आरोपी गिरफ्तार

कुरख्यात मेवाती बदमाश दबोचा

दक्षिणी-पूर्वी जिले की बदरपुर पुलिस ने मेवाती गिरोह के कुरख्यात बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसे सोमवार दोपहर हरियाणा के नूंह से गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम हासिम बताया गया है। इस पर डकैती, लूट और चोरी के तीन दर्जन से ज्यादा केस दर्ज थे। दिल्ली की एक अदालत ने इसे मगोइड़ा भी घोषित किया हुआ था। डीसीपी आर पी मीणा ने बताया कि दक्षिण, दक्षिण-पूर्वी दिल्ली सहित बॉर्डर के इलाके में सक्रिय हासिम मेवाती गैंग दर्जनों वारदातों को अंजाम दे चुका था। पुलिस को इसकी 2007 से तलाश थी। कई बार पुलिस ने मेवात में इसके ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। लेकिन वह लंबे समय से फरार चल रहा था। 14 सितम्बर को इंसपेक्टर विजयपाल दहिया की टीम को इसके नूंह में होने की सूचना मिली। पुलिस ने सूचना को पुख्ता कर दो टीम वहां भेजी और छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया।



चार करोड़ की ढगी में शामिल आरोपी अरेस्ट

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने ठगी के मामले में फरार आरोपी रामबाबू मेहता को गिरफ्तार किया है। 39 वर्षीय आरोपी पर अपने साथियों के साथ मिलकर प्रिटिंग मेटेरियल उपलब्ध करवाने वाली इंडिया ग्राफिक्स को लगभग चार करोड़ रुपये का चूना लगाने का आरोप है। आरोपी मंडावली इलाके का रहने वाला है। ठगी में शामिल इसके कई साथी व मुख्य आरोपी पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी हैं। पुलिस के अनुसार केस में शिकारकर्ता अर्जुन कोहली इंडिया ग्राफिक्स के नाम प्रिटिंग मेटेरियल की खरीद/बिक्री का व्यवसाय करते हैं। शिकारकर्ता फर्म के ही एक कर्मचारी के साथ मिलकर अभियुक्त विशाल प्रजापति ने वी टैक मार्केटिंग और अन्य फर्जी कंपनियों के नाम पर शिकारकर्ता फर्म से चार करोड़ रुपये का प्रिटिंग मेटेरियल लिया था। आरोपी व्यक्तियों द्वारा अपना भुगतान दिखाने के लिए जाली चेक से भुगतान किया था। वर्तमान आरोपी रामबाबू मेहता ने सह-अभियुक्त पंकज दीवान के साथ मिलकर पंकज सिंह और वेद कुमार गोपड़ा के नाम से फर्जी खाते खोले थे। बैंक खातों की जांच से पता चला है कि पंजाब नेशनल बैंक के चार चेक और लक्ष्मी विलास बैंक के एक चेक का इस्तेमाल एक काल्पनिक फर्म, नवीन ग्राफिक्स के नाम पर दो गई सामग्री के भुगतान के लिए किया गया था। इन दोनों खातों में इस्तेमाल किए गए दस्तावेज जाली थे और बैंक खातों से बिना किसी धन के चेक जारी किए गए थे। वर्तमान मामले में अन्य आरोपी विशाल प्रजापति, दीपक श्रीवास्तव और हेमंत शर्मा को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र भी संबंधित अदालत में दायर किए जा चुके हैं। वर्तमान आरोपी रामबाबू मेहता फरार था और इसके खिलाफ पीओ कार्रवाई शुरू की गई थी। पुलिस ने अदालत की अनुमति से इसे गिरफ्तार किया है। पुलिस को इसका दो दिन का रिमांड मिला है।

खुद को पुलिसकर्मी बताकर तीन विदेशी नागरिकों को ठगा

नई दिल्ली। स्वरूप नगर थाना इलाके में कार सवार चार बदमाशों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर तलाशी लेने के बहाने अफ्रीकी मूल के तीन विदेशी नागरिकों से पौने तीन लाख रुपये उग लिए। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के दौरान पीड़ित ओटो से उत्तम नगर जा रहे थे। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि आरोपी सिंधु बॉर्डर से उनका पीछा करते हुए आ रहे थे और उन्होंने स्वरूप नगर इलाके में वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने पीड़ित न्योसु इकेजोना की शिकायत पर मोमला दर्ज कर लिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक, अफ्रीकी मूल के न्योसु इकेजोना हरियाणा के मुल्लाना स्थित महर्षि मार्केंडे यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रहते हैं। वह स्टडी से जुड़े हैं।

 **BHARAT GEARS LIMITED**
Regd. Office & Works: 20 K.M., Mathura Road, P.O. Amar Nagar, Faridabad-121303, (Haryana)
Tel.: +91 (129) 428888
Fax: +91 (129) 428822-23
Website: www.bharatgears.com
E-mail: info@bglindia.com
CIN: L29130HR1971PLC034365

NOTICE
Notice is hereby given that the Share Certificate no(s). 4005 and 29856 bearing distinctive no(s). 715201-715250 and 2872938-2872987 standing in the name of Subaschandra Raghavendra Baliga have been reported lost/misplaced.
The Company shall proceed to issue duplicate share certificate(s), if no objection is received within 15 days from the date of publication of this notice.

For BHARAT GEARS LIMITED
Sd/-
Prashant Khattry
Head (Legal & Company Secretary)
Place: Faridabad
Dated: 10.09.2020

हथियार सप्लाई करने वाले मास्टरमाइंड समेत दो पकड़े

पश्चिमी जिले के स्पेशल स्टाफ ने देसी तमंचे और गोलियां सप्लाई करने वाले एक हथियार सप्लायर और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। इनके पास से सात कट्टे, एक रिवाल्वर और 51 कारतूस बरामद हुये हैं। इनके नाम हासिम और नेमी चंद बताये गये हैं। डीसीपी दीपक पुरोहित के अनुसार गिरफ्तार किए गए हथियार सप्लायर पहाड़गंज और बलजीत नगर के रहने वाले हैं। नेमीचंद 30 मामलों में शामिल रहा है और पटेल नगर थाने का बीसी है। इसे कीर्ति नगर मेट्रो स्टेशन के पास से दबोचा गया। तलाशी में एक कट्टा और आठ कारतूस बरामद हुये। वहीं हासिम पर पांच मामले चल रहे हैं। इसके पास से छह कट्टे, 43 कारतूस व एक रिवाल्वर बरामद हुड। इसे मोती नगर इलाके से पकड़ा गया। पुलिस को हासिम की

■ अब तक 100 देशी तमंचे और एक हजार से ज्यादा गोलियां कर चुके है सप्लाई

■ आधा दर्जन से ज्यादा पिस्टल और 48 कारतूस बरामद

तलाश पटेल नगर इलाके में फायरिंग के एक मामले में भी थी। इसके खिलाफ मोतीनगर थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार पूछताछ में पुलिस को हासिम ने बताया की वह 100 से ज्यादा कट्टे और 1000 से ज्यादा गोलियां सप्लाई कर चुका है।

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने ठगी के मामले में फरार आरोपी रामबाबू मेहता को गिरफ्तार किया है। 39 वर्षीय आरोपी पर अपने साथियों के साथ मिलकर प्रिटिंग मेटेरियल उपलब्ध करवाने वाली इंडिया ग्राफिक्स को लगभग चार करोड़ रुपये का चूना लगाने का आरोप है। आरोपी मंडावली इलाके का रहने वाला है। ठगी में शामिल इसके कई साथी व मुख्य आरोपी पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी हैं। पुलिस के अनुसार केस में शिकारकर्ता अर्जुन कोहली इंडिया ग्राफिक्स के नाम प्रिटिंग मेटेरियल की खरीद/बिक्री का व्यवसाय करते हैं। शिकारकर्ता फर्म के ही एक कर्मचारी के साथ मिलकर अभियुक्त विशाल प्रजापति ने वी टैक मार्केटिंग और अन्य फर्जी कंपनियों के नाम पर शिकारकर्ता फर्म से चार करोड़ रुपये का प्रिटिंग मेटेरियल लिया था। आरोपी व्यक्तियों द्वारा अपना भुगतान दिखाने के लिए जाली चेक से भुगतान किया था। वर्तमान आरोपी रामबाबू मेहता ने सह-अभियुक्त पंकज दीवान के साथ मिलकर पंकज सिंह और वेद कुमार गोपड़ा के नाम से फर्जी खाते खोले थे। बैंक खातों की जांच से पता चला है कि पंजाब नेशनल बैंक के चार चेक और लक्ष्मी विलास बैंक के एक चेक का इस्तेमाल एक काल्पनिक फर्म, नवीन ग्राफिक्स के नाम पर दो गई सामग्री के भुगतान के लिए किया गया था। इन दोनों खातों में इस्तेमाल किए गए दस्तावेज जाली थे और बैंक खातों से बिना किसी धन के चेक जारी किए गए थे। वर्तमान मामले में अन्य आरोपी विशाल प्रजापति, दीपक श्रीवास्तव और हेमंत शर्मा को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र भी संबंधित अदालत में दायर किए जा चुके हैं। वर्तमान आरोपी रामबाबू मेहता फरार था और इसके खिलाफ पीओ कार्रवाई शुरू की गई थी। पुलिस ने अदालत की अनुमति से इसे गिरफ्तार किया है। पुलिस को इसका दो दिन का रिमांड मिला है।

चमक होल्डिंग्स लिमिटेड					
CIN: L5149DL1987APLC019684					
पंजी. कार्यालय : 55 -वी. रामा रोड इंडस्ट्रीयल एरिया, नई दिल्ली -110015					
30 जून 2020 को समाप्त तिमाही हेतु अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण					
क्र. सं.	विवरण	अ-अंकेक्षित		अंकेक्षित	
		समाप्त 3 माह	पूर्ववर्ती वर्ष में समाप्त 3 माह	पूर्ववर्ती वर्ष अनुसूच 3 माह	वर्तमान वर्ष के वर्ष से तिथि आंकड़े
		30.06.2020	30.06.2019	31.03.2020	
1	प्रचालनों से कुल आय	395.88	2,073.32	5,935.10	
2	वर्ष हेतु शुद्ध लाभ (कर और असाधारण मदों से पूर्व)	(31.65)	91.94	4.34	
3	कर से पूर्व वर्ष हेतु शुद्ध लाभ (असाधारण मदों के बाद)	(31.65)	91.94	4.34	
4	कर और असाधारण मदों के बाद वर्ष हेतु शुद्ध लाभ	(31.31)	63.96	(9.56)	
5	कुल व्यापक आय [कर के बाद वर्ष हेतु लाभ / हानि निहित और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)]	4.17	22.97	(61.13)	
6	भुगतान किया गया इक्विटी शेयर कैपिटल (प्रत्यक्ष मूल्य रु. 10/- प्रत्येक के) (वार्डिकृत नहीं)	324.50	324.50	324.50	
7	अर्जन प्रति शेयर (प्रत्यक्ष मूल्य रु. 10/- प्रत्येक के) (वार्डिकृत नहीं)	0.01	0.07	(0.19)	

टिप्पणी :

- उपरोक्त अंकेक्षित वित्तीय परिणामों को रामोशा ऑडिट कमेटी द्वारा कर ली गई और निदेशक मंडल द्वारा इसकी 15 सितम्बर 2020 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किये गये।
- सेबी (लिटिगेंट ऑब्जेक्शंस एवं घोषणा आवश्यकताएं) नियमों, 2015 के नियमन 33 के तहत उपरोक्त अंकेक्षित वित्तीय परिणामों की सीमित समीक्षा कम्पनी के संबंधित अंकेक्षकों द्वारा कर ली गई है और वे इस पर अपने सीमित समीक्षा रिपोर्ट जारी कर चुके हैं।
- कम्पनी (Ind AS) नियमों 2015 के तहत अधिसूचित अनुसार "परिचालन सेगमेंट्स" Ind AS-108 के प्रावधानों के अनुसार है और कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 में उपलब्ध किये अनुसार है। कम्पनी के परिचालन "ट्रेडिंग ऑफ प्लास्टिक, स्टील, स्क्रैप्स इत्यादि" औषिक के अन्तर्गत आते हैं। जिन्हें प्रबंधन द्वारा केवल रिपोर्टिंग सेगमेंट के रूप में लिया गया है।
- प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी प्रमाणित कर चुके हैं कि 30 जून 2020 को समाप्त तिमाही हेतु वित्तीय परिणामों में कोई असत्य अथवा भ्रामक करने वाला विवरण अथवा ऑफेंडिंग निहित नहीं है और कोई भौतिक तथ्य हटाया नहीं गया है जिससे विवरण अथवा उसमें निहित आंकड़े भ्रामक करें।
- 30 जून 2020 को समाप्त तिमाही हेतु कम्पनी के वित्तीय परिणाम कम्पनी की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है।
- पूर्ववर्ती अवधि के आंकड़ें वर्तमान अवधि के वाणिज्यिक के साथ पुष्ट करने के लिये जहां आवश्यक है, रिगुलर / रिअरेन्ज कर लिये गये हैं।
- कोविड -19 महामारी के फैलने और अनुवर्ती लॉकडाउन ने मार्च 2020 के अन्तिम सप्ताह से कम्पनी के प्रचालनों पर बुरा तरह से असर डाला है। यह सुनिश्चित करने के लिये की कम्पनी का बिजनेस और गतिविधियां जहां तक सम्भव हो जाते रहें और अवरोध का प्रभाव कम किया जा सके, कम्पनी इसके सभी कर्मचारियों और पारमर्शदाताओं को लिये एक वक्रे फ्रीम होम पॉलिसी बना चुकी है। कम्पनी इस महामारी की परिस्थिति से बाहर निकलने और सामान्य की भाँति बिजनेस प्रचालन का संचालन करने के लिये सभी प्रयत्नशाली तरीकों पर कार्य कर रही है।

बोर्ड के आदेशानुसार
चमक होल्डिंग्स लिमिटेड
हस्ता./-
अनुभव कश्यप
प्रबंध निदेशक
डीआइएन : 01198916

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15 सितंबर 2020

एसबीईसी सिस्टम्स (इंडिया) लि.					
पंजी. कार्यालय : 1400, मोदी टावर 98, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली -110019					
CIN:L74210DL1987PLC029979					
Tel.: +91-11-42504842, E-Mail : sbcscsystems@rediffmail.com , Website: www.sbcscsystems.com					
30 जून 2020 को समाप्त तिमाही हेतु अंकेक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैंडअलोन एवं समेकित) का सार					
(रु. लाखों में)					
क्र. सं.	विवरण	स्टैंडअलोन		समेकित	
		समाप्त तिमाही 30.06.2020	समाप्त वर्ष 30.06.2019	समाप्त तिमाही 30.06.2020	समाप्त वर्ष 30.06.2019
		अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित
1	प्रचालन से कुल आय	0.39	6.52	0.39	6.52
2	अवधि (कर, असाधारण और/अथवा असामान्य मदों से पूर्व) हेतु शुद्ध लाभ (हानि)	(8.26)	0.86	(97.62)	0.86
3	कर से पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ (हानि) (असाधारण और/अथवा असामान्य मदों और एसोसिएट्स के लाभ/हानि के शेयर के बाद)	(8.26)	0.86	(111.71)	0.86
4	कर के बाद अवधि हेतु शुद्ध लाभ (हानि) (असाधारण और/अथवा असामान्य मदों के बाद)	(8.26)	0.86	(113.56)	0.86
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु निहित लाभ (हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)]	(8.26)	0.86	(113.56)	0.86
6	इक्विटी शेयर कैपिटल	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
7	पूर्ववर्ती वर्ष की बैलेंस शीट के अनुसार प्रनमृत/काम रिजर्व को छोड़कर रिजर्व्स	-	-	-	-
8	अर्जन प्रति शेयर (इंपीएस) (निरंतर और अनिंतर प्रचालनों हेतु)	(0.08)	0.01	(1.14)	0.01
a	बेसिक	(0.08)	0.01	(1.14)	0.01
b	डायल्यूटेड	(0.08)	0.01	(1.14)	0.01

टिप्पणी :-

- उपरोक्त सेबी (लिटिगेंट एवं अन्य घोषणा आवश्यकताएं) नियमों, 2015 के नियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के पास दायर किये गये 30 जून 2020 को समाप्त तिमाही हेतु स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों के निरस्त प्रारूप का एक सार है। तैयारिक स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और कम्पनी की वेबसाइट www.sbcscsystems.com पर उपलब्ध है।
- उपरोक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा और अनुशंसा ऑडिट कमेटी द्वारा कर ली गई तथा 15 सितम्बर 2020 को आयोजित उनकी सम्बन्धित बैठकों में निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किये गये।
- वित्तीय परिणाम कम्पनी (भारतीय लेखा मानदंड) नियम (संशोधित अनुसार) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित अनुसार भारतीय लेखा मानदंड (Ind-AS) के अनुसार तैयार किये गये हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते एसबीईसी सिस्टम्स (इंडिया) लिमिटेड
राजीव कुमार आसवाल
निदेशक
डीआइएन : 0029852